संख्या-86/2020/4490/71-2-2020-34/2018

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दूबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं अस्पताल
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 28 दिसम्बर, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में संस्थान हेतु उपकरणों एवं संयंत्रों की सूची अनुमोदित किये जाने एवं उक्त मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एसएससीआई/जेडीएमएम/2020-21/664/जी-10, दिनांक 25 नवम्बर, 2020 एवं पत्र संख्या- डीआईआर/सीआई/38/409/ 2020-21, दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान में उपकरणों एवं संयंत्र की सूची अनुमोदित किये जाने एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद 26-मशीने और सज्जा/ उपकरण और संयत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू0 7000.00 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 25 नवम्बर, 2020 में उल्लिखित उपकरणों की सूची (संलग्नक-ए/बी) अनुमोदित करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं अस्पताल, सी.जी. सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ हेतु मानक मद 26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि रू0 7000.00 लाख के सापेक्ष समस्त धनराशि रू0 7000.00 लाख (रूपया सत्तर करोड़ मात्र) अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1) वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही सम्बन्धित उपकरणों के क्रय की कार्यवाही संस्थान के स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
2) जिन उपकरणों के स्पेशिफिकेशन निर्धारित कर दिये गये हैं, तदनुसार ही कार्यवाही की जायेगी तथा संस्थान हेतु उपकरण/संयंत्र मद में प्राविधानित सीमा तक ही उपकरणों का क्रय किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में प्राविधानित धनराशि से अधिक का आहरण/व्यय नहीं किया जायेगा।
3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली जाये।
4) स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।
5) वित्त विभाग एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
7) प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान के निदेशक/ वित्त नियंत्रक/ सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8) दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त नियंत्रक द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरण किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियॉ न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टियों (Technical Specifications) का यथासम्भव समावेश किया जाये।

9) वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आदेश (पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट), दिनांक 23 जुलाई, 2020 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ ही, सी0वी0सी0 एवं वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10) संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से संबंधित समय-समय पर निर्गत सुसंगत अद्यतन शासनादेशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11) निदेशक/वित्त नियंत्रक द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12) प्राइज जस्टिफिकेशन संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना निदेशक/ वित्त अधिकारी/ विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी।

13) संस्थान के वित्त नियंत्रक/ वित्त एवं लेखा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उपकरणों का क्रय किए जाने में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो और उपकरणों का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय।

14) उक्त उपकरणों का क्रय किए जाने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण किए जाने के पश्चात्, यदि उपकरण क्रय के पश्चात् धनराशि की बचत होती है, तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में क्रय किए जाने वाले अन्य उपकरणों में तदनुसार समायोजित किया जायेगा।

15) उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करके किया जायेगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

16) वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (क्रयादेश/ उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

17) प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य के शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित की जाय।

18) स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुमोदित उपकरणों की द्वविरावृत्ति नहीं हो रही है।

19) रू0 50.00 लाख के ऊपर अनुमानित क्रय मूल्य के समस्त उपकरणों/संयंत्रों हेतु निविदा निर्गत करने से पूर्व उपकरण की निविदा विशिष्टताएं ऐसी कमेटी से निर्धारित करायी जाय, जिसमें अनिवार्य रूप से कम से कम एक बाह्य विशेषज्ञ हो। रू0 50.00 करोड़ के ऊपर अनुमानित क्रय मूल्य के समस्त उपकरणों हेतु उपकरण की निविदा विशिष्टताओं हेतु गठित कमेटी में 03 बाह्य विशेषज्ञ सम्मिलित हो, जिसमें एक अनिवार्य रूप से प्रदेश के बाहर के हों।

20) सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किया जाये। क्रय की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों, गुणवत्ता व ऑडिट आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक/ वित्त एवं लेखा अधिकारी, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं अस्पताल, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31- चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूँजी लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षाण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी- 59-कैंसर संस्थान, लखनऊ-26- मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-86/2020/4490/71-2-2020-34/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक/ वित्त एवं लेखाधिकारी, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।